# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

| रेफरेन्स संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 17/02/2019 | 23.07.2019 | 12.12.2019 |

1– सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1– गोकुलचंद पुत्र छोटक्या, शंकर पुत्र गोकुलचंद कोम कीर सा0 बुर्जा तहसील मालाखेड़ा, सुभाषचंद पुत्र नत्थुराम जाति मीणा सा0 लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

**–अप्रार्थीगण**

**रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थितः–**

01. श्योरामसिंह नरूका –वकील अप्रार्थी

**––:: निर्णय ::––**

तहसीलदार मालाखेड़ा ने यह रेफरेन्स पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दादर की जमाबंदी सवत् 2047–50 में कस्टोडियन सरकार खाता सं. 391 में छोटक्या पुत्र बुधा सा. बुर्जा गैरखातेदार दर्ज रेकॉर्ड था। मिसल बन्दोबस्त सवत् 2051 में ग्राम दादर में जरिये इंतकाल सं0 11 दि0 27.05.1992 के द्वारा उक्त गैरखातेदार को खातेदारी दी गयी। भूमि की किस्म खातली दर्ज है, जो अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित है। उक्त भूमि संवत् 2020 व 2051 में रेकॉर्ड व मौके पर खातली यानि नदी के किनारे की भूमि थी। उक्त भूमि जल–भराव व बहाव से संबंधित होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के परिपेक्ष्य में किसी को नहीं दी जा सकती तथा उक्त प्रकार की भूमियों में कृषि व अन्य उपयोग नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि की किस्म खातली होने व जल–भराव के कार्य में आने वाली भूमि का आवंटन करना, खातेदारी देना विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अन्य उपयोग हेतु वर्जित रखी गयी है। अतः प्रा0पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम दादर के साबिक खसरा नम्बर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, से बने नये खसरा नम्बर 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 को जमाबंदी सवत् 2047–50 के अनुरूप उस पर दिये गये खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर पुनः गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा रैफरेन्स प्रकरण मे अपनी बहस में निवेदन किया कि जरिये इंतकाल सं0 11 दि0 27.05.1992 गैरखातेदार को खातेदारी दी गयी। जमीन की किस्म गलती से खातली दर्ज है बल्कि कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि नदी तालाब पानी भराव की भूमि नहीं है और ना ही धारा 16 से प्रभावित है। उक्त भूमि पूर्व से ही कृषि कार्य

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

के उपयोग में ही चली आ रही है। भूमि की किस्म खातली दर्ज होने का गलत अर्थ निकालकर रैफरेंस पेश किया गया है। पहले भूमि कस्टोडियन सरकार की खातेदारी थी। रा0काश्तकारी अधि0 लागू होने से ही छोटक्या पुत्र बुधा की गैर खातेदारी मे ही चली आ रही थी और दि0 27.05.1992 से खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज है। खातेदार काश्तकार कृषि भूमि कर काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 लागू नहीं होती है। इसलिए रैफरेंस गलत पेश किया गया है। रैफरेंस खारिज योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.35 है0 में से 105/350 हिस्सा सुभाषचंद पुत्र नत्थुराम द्वारा गोकुलचंद पुत्र छोटक्या जाति कीर सा. बुर्जा से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 17.11.2014 क्रय की गयी। खरीद के बाद इंतकाल दर्ज हुआ व खातेदारी दर्ज हुई। खाता सं0 129 आराजी खसरा नम्बर 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 गोकुल पुत्र छोटक्या सा0 बुर्जा खातेदार दर्ज है। खाता सं. 468 खसर नम्बर 22 व 23 शंकर पुत्र गोकुलचंद सा0 बुर्जा खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी पानी के बहाव की भूमि नहीं रही। पट्टा सं0 35/रेगुलर/92/16/2 दि0 06.01.1992 को कीमतन पट्टा कलैक्टर कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा जारी किया गया। जिसका खातेदारी इंतकाल सं0 11 दि0 27.05.1992 को छोटक्या पुत्र बुधा कीर के नाम दर्ज व स्वीकार किया। जो अप्रार्थी सं0 01 गोकुल का पिता था व अप्रार्थी सं. 2 शंकर का दादा था। एक बार खातेदारी काश्तकारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद उक्त भूमि पर रैफरेंस लागू नहीं होता है। अतः तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा पेश किया गया रैफरेंस खारिज कर हाल जमाबंदी में से अब्दुल रहमान बनाम सरकार का नोट हटाये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा सवत् 2012–19 तक अर्थात् 1962–63 से पूर्व का रेकॉर्ड पेश नहीं किया है। अधूरा रेकॉर्ड पेश किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों में सन् 1947 की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये गये है अर्थात् वर्ष 2003–04 की स्थिति बहाल होनी चाहिए। तहसीलदार मालाखेड़ा उक्त रैफरेंस में वर्ष 2003–04 के रेकॉर्ड की बजाय सवत् 2047–50 अर्थात् वर्ष 1990–91 के आधार पर पेश किया गया है। जिससे तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा पेश उक्त रैफरेंस स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर रैफरेंस खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मालाखेड़ा को पालनार्थं भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

**निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(भगवत सिंह देवल)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)**
**अलवर (राजस्थान)**